

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

39

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं०-04/2015-16

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नया सचिवालय (विकास भवन एवं सूचना भवन) में स्थित विभागों एवं कार्यालयों में दिनांक-30.12.2015 को निर्धारित भूकम्प संबंधी मॉकड्रिल के समापन समारोह हेतु नया सचिवालय स्थित सूचना भवन के पोर्टिको के सामने मैदान में माननीय मुख्यमंत्री/मंत्रियों के सम्बोधन हेतु पंडाल एवं मंच निर्माण कार्यों के लिए अनुभवी/ख्याति प्राप्त एजेंसियों/ फर्मों से अलग-अलग लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्राप्ति का स्थान- दिनांक-15.12.2015 को आपदा प्रबंधन विभाग, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना अपराह्न 3.00 बजे तथा उसी दिन अपराह्न 4.30 बजे विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि रह सकते हैं।

विषय वस्तु- भूकम्प संबंधी मॉकड्रिल के समापन कार्यक्रम हेतु सूचना भवन स्थित पोर्टिको के सामने मैदान में वाटरप्रूफ पंडाल, मंच, पोडियम, कुर्सी एवं माईक इत्यादि की व्यवस्था किया जाना है।

निविदा की शर्तें-

1. तकनीकी निविदा हेतु फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र तथा जमानत राशि के रूप में 10,000/- (दस हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के पदनाम से पटना में भुगतान हो तथा फर्म का स्वच्छता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता का फर्म का आयकर/वैट/सर्विस टैक्स प्रावधानों के अंदर निबंधित होना चाहिए।
3. वाटरप्रूफ पंडाल, मंच, पोडियम, निर्माण से संबंधित सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में किए गए कार्यों का आदेश की प्रति संलग्न करना होगा।
4. मॉकड्रिल कार्यक्रम समाप्त होने तक सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
5. मॉकड्रिल कार्यक्रम अवधि में किसी प्रकार वाटरप्रूफ पंडाल, मंच, पोडियम, कुर्सी एवं माईक इत्यादि की टूट-फूट एवं व्यवस्था में कमी होने पर भुगतान में कटौती कर ली जाएगी।
6. मॉकड्रिल कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत साल्वेज निविदादाता का होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही निविदादाता दर अंकित करेंगे।
7. डिजाईन, मॉडल के तहत कार्यों पर प्राथमिकता दी जाएगी।
8. वाटरप्रूफ पंडाल, मंच, पोडियम निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
9. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार आपदा प्रबंधन विभाग को सुरक्षित होगा।



विशेष सचिव

आपदा प्रबंधन विभाग
बिहार, पटना